Central Depository Services (India) Limited

Convenient ⌖ Dependable ⌖ Secure

COMMUNIQUÉ TO DEPOSITORY PARTICIPANTS

CDSL/OPS/DP/POLCY/2022/255 **May 11, 2022**

GAZETTE NOTIFICATION - UPDATES IN SECTION 35(1)(a) OF UAPA, 1967

Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its communication dated May 09, 2022, has informed the depository about the following notification(s) issued in the Gazette of India:

> Gazette Notification in respect of the 7 individuals, who have been declared as Terrorists and have been listed in the IVth Schedule of the UAPA, 1967 under Section 35(1) (a) of the Act.

Gazette Notification is attached as Annexure for your ready reference.

DPs are advised to take note of the above and ensure necessary due diligence & compliance.

Queries regarding this communiqué may be addressed to CDSL – Helpdesk: on telephone numbers (022) 2305-8624, 2305-8639, 2305-8642, 2305-8663, 2305-8640, 2300-2041 or 2300-2033. Emails may be sent to: helpdesk@cdslindia.com

sd/-

Umesh Kambli
Asst. Vice President – Surveillance

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234989
CG-DL-E-08042022-234989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1646] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
No. 1646] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1729(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद पुत्र हाफ़िज़ मुहम्मद सईद, जन्म की तारीख 25 अक्टूबर, 1975 निवासी लाहौर, पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का वरिष्ठ नेता है और लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है ;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद आतंकवादियों की भर्ती करने, निधि संग्रहण और भारत तथा अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए जाने वाले हमलों की योजना बनाने और उनको कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहा है ;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद संपूर्ण पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न केन्द्रों का सक्रिय रूप से दौरा करता रहा है और अपने धर्मविषयक व्याख्यानों को प्रसारित करने के दौरान भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के विरूद्ध जिहाद के लिए उकसाता रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हाफ़िज़ तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफ़िज़ तल्हा सईद उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"32. हाफ़िज़ तल्हा सईद "।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3833 (अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

S.O. 1729(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Hafiz Talha Saeed, S/o Hafiz Mohammad Saeed, date of birth on the 25th October, 1975, resident of Lahore, Pakistan, is a senior leader of Lashkar-e-Taiba (LeT) and is the head of the cleric wing of the LeT;

And whereas, LeT is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Hafiz Talha Saeed has been actively involved in recruitment, fund collection, planning and executing attacks by LeT in India and Indian interests in Afghanistan;

And whereas, Hafiz Talha Saeed has been actively visiting various LeT Centres across Pakistan and during his sermons propagating for jihad against India, Israel, United States of America and Indian interests in other western countries;

And whereas, the Central Government believes that Hafiz Talha Saeed is involved in terrorism and Hafiz Talha Saeed should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"32. Hafiz Talha Saeed ".

[F. No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 3833(E) dated the 27th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235030
CG-DL-E-11042022-235030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1649] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 1649] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1735(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर उर्फ मकताब अमीर उर्फ मुजाहिद भाई उर्फ मोहम्मद भाई उर्फ एम. अम्मार उर्फ अबु अम्मार मादाम उर्फ औरंगज़ेब अंजार उर्फ मौलाना अम्मार मादनी उर्फ मौलाना अम्मार उर्फ अबु अम्मार उर्फ अम्मार अल्वी पुत्र अलाह बकाश साबीर, जन्म की तारीख 1 जनवरी, 1983, निवासी बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का वरिष्ठ नेता है ;

2564 GI/2022

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 2019 के पुलवामा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल रक्षदल हमले में शामिल था ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर जैश-ए-मोहम्मद के निमित्त भारत विरोधी आतंकवादी कार्यकलापों में अंतर्वलित रहा है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर जैश-ए-मोहम्मद के निमित्त पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से निधि संग्रहण कार्यकलापों को और उक्त निधि को भारत में कश्मीर में भेजने के कार्यों को देखता है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर अफगान कैडर को भारत में घुसपैठ को सरल बनाने और जम्मू-कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों के समन्वय में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर आतंकवाद में संलिप्त है और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"33. मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर उर्फ मक्ताब अमीर उर्फ मुजाहीद भाई उर्फ मोहम्मद भाई उर्फ एम. अम्मार उर्फ अबु अम्मार मादाम उर्फ औरंगज़ेब अंजार उर्फ मौलाना अम्मार मदनी उर्फ मौलाना अम्मार उर्फ अबु अम्मार उर्फ अम्मार अल्वी"।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1729 (अ) तारीख 8 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1735(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir @ Maktab Ameer @ Mujahid Bhai @Muhammad Bhai @ M. Ammar @ Abu Ammar Madam @ Orangzaib Anzar @ Maulana Ammar Madni @ Maulana

Ammar @Abu Ammar @Ammar Alvi S/o Allah Bakash Sabir, date of birth on the 1st January, 1983, resident of Bahawalpur, Punjab, Pakistan is a senior leader of Jaish-e-Mohammed (JeM);

And whereas, Jaish-e-Mohammad is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir has been involved in Pulwama Central Reserve Police Force Convoy attack of 2019;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir is involved in anti-India terror activities on behalf of Jaish-e-Mohammad;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir looks after JeM's fund collection activities from Pakistani nationals and routing the said fund to Kashmir in India;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir has been involved in facilitating infiltration of Afghan cadres and coordinating terror attacks on Indian security forces in Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Mohiuddin Aurangzeb Alamgir is involved in terrorism and Mohiuddin Aurangzeb Alamgir should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 32 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"33. Mohiuddin Aurangzeb Alamgir @ Maktab Ameer @ Mujahid Bhai @Muhammad Bhai @ M. Ammar @ Abu Ammar Madam @ Orangzaib Anzar @ Maulana Ammar Madni @ Maulana Ammar @Abu Ammar @Ammar Alvi".

[F.No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1729(E) dated the 8th April, 2022.

REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235039
CG-DL-E-11042022-235039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 1682]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1768(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और अली काशिफ जान उर्फ जान अली काशिफ पुत्र गोहर अली जन्म की तारीख 30 जनवरी, 1982, निवासी चरसाद्दा, खैबर पख्तूनख्वा जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का परिचालन कमांडर है और उसकी कोर योजना समिति में है ;

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और अली काशिफ जान भारत में पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले का हैंडलर था ;

और अली काशिफ जान राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषण किए जा रहे विभिन्न मामलों में अभियुक्त है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर आतंकवादी हमला शामिल है और वह इन मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है ;

और अली काशिफ जान पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद की लॉचिंग टुकडियों से सतत् परिचालन करता है और प्रशिक्षण के लिए काडरों को भर्ती करने तथा भारत में स्थित लक्ष्यों पर आक्रमण की योजनाओं के समन्वय में सम्मिलित रहा है ;

और अली काशिफ जान के विरूद्ध रेड कॉर्नर नोटिस सं. ए-11694/12-2016 और रेड कॉर्नर नोटिस सं. 31727-2016 जारी किए गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अली काशिफ जान आतंकवाद में शामिल है और अली काशिफ जान उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"34. अली काशिफ जान उर्फ जान अली काशिफ "।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1735 (अ). तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1768(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved *in terrorism;*

3) And whereas, Ali Kashif Jan@Jan Ali Kashif S/o Gohar Ali, date of birth on the 30th January, 1982, resident of Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa is the operational commander and part of the core planning committee of the Jaish-e-Mohammed (JeM);

And whereas, JeM is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Ali Kashif Jan was the handler of Pathankot Air Force Station Terror Attack in India;

And whereas, Ali Kashif Jan is accused in various cases registered and being investigated by the National Investigation Agency, which *inter-alia* include Pathankot Air Force Station Terror Attack and he had been declared proclaimed offender in these cases;

And whereas, Ali Kashif Jan continues to operate from the JeM launching detachments located in Pakistan and is involved in recruitment of cadres for their training and co-ordinate attack plans at targets in India;

And whereas, Red Corner Notices No. A-11694/12-2016 and RCN No. 31727-2016 were issued against him;

And whereas, the Central Government believes that Ali Kashif Jan is involved in terrorism and Ali Kashif Jan should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"34. Ali Kashif Jan @Jan Ali Kashif".

[F. No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O 1735 (E), dated the 11th April, 2022.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235133
CG-DL-E-13042022-235133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1733]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944
No. 1733]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1820(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम, आयु 52 वर्ष, पुत्र मरहूम गुलाम रसूल ज़रगर निवासी गनी मोहल्ला, जामा मस्जिद, नौहट्टा, श्रीनगर, अल-उमर-मुजाहिद्दीन का संस्थापक और मुख्य कमांडर है ;

और अल-उमर-मुजाहिद्दीन उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 9 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर आतंकी संगठन 'जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट' से संबद्ध था और वह अवैध हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान गया था ;

और मुश्ताक अहमद ज़रगर इंडियन एयरलाइन फ्लाइट अपहरण संकट में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट आईसी-814 के बंधकों के बदले में वर्ष 1999 में मुक्त किया गया एक आतंकवादी था ;

और मुश्ताक अहमद ज़रगर भारत के जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढाने के लिए पाकिस्तान से निरंतर मुहिम चला रहा है ;

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर विभिन्न आतंकी अपराधों में शामिल है, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, व्यपहरण, आतंकी हमलों की योजना बनाने और क्रियान्वयन करने तथा आतंक के लिए धन मुहैया कराना शामिल है ;

और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर आतंकी समूहों जैसे अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ अपने संपर्क और सामीप्य के कारण न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम आतंकवाद में शामिल है और उक्त मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम उकृत अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"35. मुश्ताक अहमद ज़रगर उर्फ लतराम" ।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1768 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1820(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mushtaq Ahmed Zargar @Latram, aged 52 years son of Late Ghulam Rasool Zargar, resident of Gani Mohalla, Jama Masjid, Nowhatta, Srinagar, is the Founder and Chief Commander of Al-Umar-Mujahideen;

And whereas, Al-Umar-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 9;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar had been affiliated with 'Jammu-Kashmir Liberation Front' terror outfit and had gone to Pakistan for obtaining illegal arms and ammunition training;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar was one of the released terrorists in the year 1999, Indian Airlines Flight hijacking crisis, in exchange of the hostages of Indian Airlines Flight IC-814;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar has been running an incessant campaign from Pakistan to fuel terrorism in Jammu and Kashmir, India;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar has been involved in various terror crimes including murder, attempt to murder, kidnapping, planning and execution of terrorist attacks and terror funding;

And whereas, the said Mushtaq Ahmed Zargar is a threat to peace, not only to India, but across the world, with his contacts and proximity to radical terrorist groups like the 'Al- Qaeda' and 'Jaish-e-Mohammed';

And whereas, the Central Government believes that Mushtaq Ahmed Zargar @Latram is involved in terrorism and the said Mushtaq Ahmed Zargar @Latram is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"35. Mushtaq Ahmed Zargar @Latram".

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1768 (E)., dated the 11th April, 2022.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235173
CG-DL-E-18042022-235173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1826] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944
No. 1826] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1737(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सश्कत करता है, यदि उसे यह विश्वास विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी, जन्म की तारीख

20 नवंबर, 1987, पुत्र गुलाम अहमद नेंगरू, निवासी हजन बाला राजपुरा, पुलवामा जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का एक कमांडर है ;

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और उक्त आशिक अहमद नेंगरू जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में सम्मिलित रहा है, जो जम्मू-कश्मीर में विभिन्न आतंकी घटनाओं को करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं ;

और कश्मीर में आतंकी सिंडिकेट चलाने के पश्चात् उक्त आशिक अहमद नेंगरू अब पाकिस्तान स्थित दूरस्थ नियंत्रण से जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खतरनाक मुहिम में सम्मिलित है ;

और उक्त आशिक अहमद नेंगरू वर्ष 2013 में पुलवामा, जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस कार्मिक की हत्या करने, वर्ष 2020 में एक नागरिक की हत्या करने से संबंधित मामलों में और आतंक के लिए धन मुहैया कराने तथा आतंकवादियों को अवैध रूप हथियार देने में सम्मिलत रहा था ;

और आशिक नेंगरू भारत की सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा करता है, उसको ध्यान में रखते हुए तथा उसको आतंकवाद, जो भारत तक ही सीमित नहीं है, को बढ़ावा देने से रोकने के लिए यह अत्यावश्यक है, कि उसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट करना होगा ;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"36. आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी" ।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण: विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1820 (अ). तारीख 13 अप्रैल 2022, द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1737(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi having date of birth on the 20th November, 1987, son of Ghulam Ahmmad Nengroo, resident of Hajan Bala Rajpora, Pulwama, is one of the Commanders of terror outfit Jaish-e-Mohammad;

And whereas, Jaish-e-Mohammad is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act, at serial No. 6;

And whereas, the said Ashiq Ahmed Nengroo has been involved in infiltration of terrorists into Jammu and Kashmir, who have been responsible for inflicting various terrorist incidents in Jammu and Kashmir;

And whereas, after running a terror syndicate in Kashmir, the said Ashiq Ahmed Nengroo is now engaged in a perilous campaign to orchestrate terror in Jammu and Kahmir, remote controlled from Pakistan;

And whereas, the said Ashiq Ahmed Nengroo had been involved in the cases related to killing of one police personnel in Pulwama, Jammu and Kashmir, in the year 2013, killing of one civilian in the year 2020 and terror *funding and illegal supply of weapons to terrorists;*

And whereas, it is imperative, in view of the danger which the said Ashiq Nengroo poses to the security of the India, and in order to deter him from perpetrating terrorism not limited to India, that he shall be designated as a terrorist under the provisions of the said Act;

And whereas, the Central Government believes that Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi is involved in terrorism and the said Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"36. Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @Ashaq Moulvi".

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1820 (E)., dated the 13th April, 2022.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235204
CG-DL-E-19042022-235204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1767] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944
No. 1767] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

का.आ. 1857(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह् शेख की जन्म की तारीख 10 अक्टूबर, 1974 पुत्र डॉ. गुलाम मोहम्मद निवासी शेख लेन सं. 2, रोज़ एवेन्यू कॉलोनी, एचएमटी शाल्टेंग, श्रीनगर, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों में से एक है और उसका संबद्ध सदस्य है;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और उक्त शेख सज्जाद जम्मू-कश्मीर में हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित एक मामले में फरार है;

और उक्त शेख सज्जाद सक्रिय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती करने तथा आतंक के लिए धन मुहैया कराने में सम्मिलित रहा है;

और उक्त शेख सज्जाद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मिलीभगत करके जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में व्यस्त प्रेस एन्क्लेव क्षेत्र में 14 जून, 2018 को एक प्रमुख पत्रकार को उनके दो वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ खत्म करने के आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त पाया गया था ;

और केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त शेख सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:,अब, केंद्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"37. शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख"।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण:— विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची को अंतिम बार अधिसूचना संख्या तारीख का. आ. 1737 (अ). तारीख 18 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

S.O. 1857(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh having date of birth on the 10th October, 1974, son of Dr. Ghulam Mohammad Sheikh, resident of Lane No. 2 Rose Avenue Colony HMT Shalteng, Srinagar, is one of the commanders and associate member of the terror outfit Lashkar-e-Taiba;

And whereas, Lashkar-e-Taiba is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Act at serial No. 5;

And whereas, the said Sheikh Sajad is absconding in a case pertaining to recovery of Arms and Ammunition in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Sheikh Sajad has been actively radicalizing, motivating and recruiting youth of Jammu and Kashmir to support proscribed terrorist organisation Lashkar-e-Taiba and has been involved in terror funding;

And whereas, the said Sheikh Sajad was found involved in hatching criminal conspiracy, in-connivance with terrorists of the Lashkar-e-Taiba, in eliminating prominent journalist, along with his two personal security officers on the 14th June, 2018 at the busy Press Enclave area of Srinagar, Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh is involved in terrorism and the said Sheikh Sajad Gul @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:–

"37. Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh".

[F.No. 11034/18/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:– The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1737(E)., dated the 18th April, 2022.

REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235217
CG-DL-E-19042022-235217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1786] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944
No. 1786] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

का.आ. 1876(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर, आयु 23 वर्ष, वर्ष 1999 में पैदा हुआ, पुत्र, गुलज़ार अहमद डार निवासी खरबतपोरा, रत्नीपोरा, पुलवामा, आतंकवादी संगठन अल बद्र के संबद्ध सदस्यों में से एक है;

और अल बद्र उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 26 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार वैध दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान गया था जहां वह आतंकवादी संगठन अल बद्र में सम्मिलित हो गया था और आतंकवादी संगठन अल बद्र का एक सक्रिय आतंकवादी और कमांडर रहा है और तब से, वर्तमान में पाकिस्तान से संचालन कर रहा है;

और उक्त अर्जुमंद गुलजार डार युवाओं को उक्त संगठन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहा है और जब से वह पाकिस्तान गया है, अल बद्र के आतंकी क्रियाकलापों को वित्तपोषित कर रहा है;

और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में ज़मीनी कार्यकर्ताओं से विस्फोटकों की बरामदगी के मामलों में; जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 18 नवंबर, 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर ग्रेनेड हमले में, युवाओं को आतंकी संगठन अल बद्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने में, संलिप्त पाया गया है;

और केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:,अब, केंद्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"38. अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर"

[फा. सं. 11034/18/2021/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची को अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 1857 (अ). तारीख 19 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

S.O. 1876(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor, aged 23 years born in the year 1999, son of Gulzar Ahmed Dar, resident of Kharbatpora, Ratnipora, Pulwama, is one of the associate members of the terror outfit Al Badr;

And whereas, Al Badr is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 26;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar went to Pakistan on valid documents where he joined terrorist outfit Al Badr and has been an active terrorist and commander of terrorist outfit Al Badr and since then, currently operating from Pakistan;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar has been motivating youth to join the said outfit and has been funding the terror activities of Al Badr, ever since he went to Pakistan;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar has been found involved in cases of recovery of explosives from the over ground workers in Pulwama, Jammu and Kashmir; Grenade attack on Central Reserve Police Force personnel on the 18th November, 2020 in Pulwama, Jammu and Kashmir; motivating youths to join militant ranks in terror outfit Al Badr;

And whereas, the Central Government believes that Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor is involved in terrorism and the said Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"38. Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor".

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1857 (E)., dated the 19th April, 2022.